विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित, डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-40 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
40- क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर के ग्राम-खरगीपुर, परगना व थाना-चांदा के निवासियों की राजस्व संबंधी समस्या का समाधान कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 2024 जो कि प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री को संबोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हॉं।
यदि हां, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे और अब तक उक्त प्रकरण पर क्या कार्यवाही हुई है?	उक्त पत्र में श्री धनी प्रसाद पुत्र नन्हकू नि0 ग्राम खरगीपुर थाना चांदा तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर के पट्टे की भूमि का सीमांकन होने के बावजूद भी कार्यवाही न होने के कारण हो रही समस्या का उल्लेख करते हुये उक्त समस्या का शीघ्र समाधान कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिलाधिकारी सुलतानपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण की स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच में पाया गया कि गाटा संख्या-392क/0.010 हे0 भूमि भगौती प्रसाद आदि सुत राम खेलावन निवासी ग्राम फुटेला, गाटा संख्या-392 ख मि0/0.006 हे0 भूमि उर्मिला सरोज आदि पत्नी श्रीनाथ सरोज निवासी ग्राम फुटेला, गाटा संख्या-392ख मि0/0.076हे0 भूमि आबादी श्रेणी 6(2), गाटा संख्या-392ख मि0/0.035हे0 भूमि गैर मुमकिन, गाटा संख्या-392ख मि0/0.070 हे0 भूमि लालता प्रसाद आदि सुत रामखेलावन निवासी ग्राम खरगीपुर व गाटा संख्या-392ख मि0/0.088 हे0 भूमि धनी प्रसाद आदि सुत नन्हकू निवासी ग्राम खरगीपुर के नाम अभिलेख में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। यह भूमि आवेदक को पट्टे से प्राप्त हुयी थी तथा पूर्व में राजस्व निरीक्षक रामगढ़ द्वारा उक्त गाटा संख्या 392 ख मि0/0.088 हे0 की पैमाइस करके आवेदक की भूमि की निशानदेही कर कब्जा दखल कराया गया था। उक्त भूमि संघटक नम्बर है। उक्त गाटे के सभी सहखातेदारों की उपस्थिति एवं सहमति की दशा में धनी प्रसाद सुत नन्हकू की भूमि का सीमांकन करते हुये निशानदेही कर कब्जा दखल करा

दिया गया है। प्रकरण का समाधान सभी पक्षों की सहमति एवं उपस्थिति में कर दिया गया है।

क्या उक्त का संपूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हाँ। उपर्युक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ0प्र0।